भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3416

(जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2016/14 श्रावण, 1938 (शक) को दिया जाना है)

मुद्रा ऋण

3416. श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खानः **डॉ. उदित राजः**

श्री कोडिकुन्नील सुरेशः **श्री एंटो एन्टोनीः**

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंकः **श्री रविन्दर कुशवाहाः**

श्री प्रहलाद जोशीः **श्री एस. सेल्वाकुमार चिन्नैयनः**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बैंक, सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वितपोषण एजेंसी (मुद्रा) की स्वीकृति हेतु अपने लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को दिए गए ऋणों के प्रतिशत सहित प्राप्त आवेदनों/लाभान्वित होने वाले लोगों की बैंक और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या और संवितरित की गई धनराशि कितनी है;

(ख) क्या सरकार को बैंकों के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वो देश में बेरोजगार लोगों के साथ प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के संबंध में सहयोग नहीं कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक जरूरतमंद लोगों को मुद्रा ऋण जारी करने के लिए संपार्श्विक सुरक्षा की जबरदस्ती मांग कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री मुद्रा योजना में कोई बदलाव किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) सरकार द्वारा इस संबंध में मुद्रा योजना के बारे में जागरूकता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) वर्ष 2015-16 के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत निर्धारित 1,22,128 करोड़ रूपए के लक्ष्य की तुलना में बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) ने एक साथ 3.48 करोड़ उधारकर्ताओं को 1,32,954.73 करोड़ रूपए संवितरित किए हैं, इस प्रकार लक्ष्य का 109% प्राप्त कर लिया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा महिला, अनुसूचित जातियों(अ.जा.)/अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.)/अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) श्रेणियों में राशि और उधारकर्ताओं की संख्या का बैंक-वार और राज्य-वार विवरण अनुबंध-। में है।

(ख) केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम) के अंतर्गत पीएमएमवाई पर विभिन्न प्रकार की कुल 4617 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ स्वीकृति में देरियां, ऋण देने की मनाही, सम्पार्श्विक प्रतिभूतियों के लिए मांग इत्यादि शामिल हैं। बैंक-वार विवरण अनुबंध-।। पर हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को सूक्ष्म, लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र के यूनिटों को दिए गए 10 लाख रूपए तक के ऋणों के मामले में सम्पार्श्विक प्रतिभूति स्वीकार न करने के लिए अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में, समय-समय पर, शिकायतों का समाधान किया जाता है।

(घ) अप्रैल, 2016 से पीएमएमवाई के अंतर्गत निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:

(i) कृषि से संबद्ध गतिविधियां और समर्थकारी सेवाएं जो कि आजीविका का संवर्धन करती है अथवा आय अर्जन करती है, को शामिल किया गया है।

(ii) मौजूदा व्यक्तिगत मामलों के अलावा पीएमएमवाई ऋण समूह (क्लस्टर) आधार पर भी दिये जा सकते हैं।

(iii) अलग-अलग बैंकों द्वारा मुद्रा के अंतर्गत उप-उत्पाद उदाहरणार्थ मुद्रा बुनकर कार्ड विकसित किये जा सकते हैं।

(ड.) पीएमएमवाई के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:

- पीएमएमवाई के बारे में जानकारी के प्रचार के लिए बैंकों ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। सभी बैंकों द्वारा चुनिन्दा स्थानों/अपनी योजना के बारे में व्यापक रूप से शाखाओं- में बैनर/होर्डिंग पोस्टर प्रदर्शित किए गए हैं।
- पीएमएमवाई योजना के विवरणों के प्रसार के लिए सरकार द्वारा 01.09.2015 से 02.10.2015 तक प्रिंटमीडिया, रेडियो जिंगल, होर्डिंग, टाउन हाल बैठकों, ऋण शिविरों इत्यादि के माध्यम से अभियान।
- भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने भी जनवरी 2016 से मार्च 2016 के दौरान प्रचार अभियान चलाया था।
- ट्विटर तथा फेस बुक के माध्यम से सोशल मीडिया अभियान।

******

अनुबंध ।

वित्त वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 (22.07.2016 की स्थिति के अनुसार) राज्य-वार संवितरण, उधारकर्ताओं की संख्या तथा ऋण में महिलाओं,अ.जा.,अ.ज.जा, अपिव श्रेणियों के आंकड़े													
क्रम.सं.	राज्य का नाम	2015-16						2016-17 (22.07.2016 की स्थिति के अनुसार))					
		संवितरण (करोड़ रूपए में)	खातों की कुल संख्या	अ.जा.	अ.ज.जा	अपिव	महिलाएं	संवितरण (करोड़ रूपए में)	खातों की कुल संख्या	अ.जा.	अ.ज.जा	अपिव	महिलाएं
1	अंडमान एवं निकोबार	212.78	24,719	11%	2%	58%	19%	7.60	429	1%	0%	1%	29%
2	आंध्र प्रदेश	5,790.79	7,95,688	8%	2%	26%	31%	968.26	1,10,183	9%	2%	25%	34%
3	अरूणाचल प्रदेश	71.62	4,625	10%	53%	13%	19%	12.47	894	3%	50%	24%	11%
4	असम	1,728.46	4,27,272	6%	5%	20%	71%	396.57	1,27,594	7%	4%	27%	60%
5	बिहार	7,265.91	24,51,439	15%	4%	59%	84%	1,452.60	6,06,671	14%	4%	60%	91%
6	चंडीगढ	204.52	22,605	6%	0%	8%	32%	38.94	2,527	14%	0%	10%	23%
7	छत्तीसगढ़	2,156.14	6,39,711	12%	11%	41%	76%	436.88	1,50,780	12%	11%	45%	85%
8	दादर एवं नगर हवेली	21.27	1,236	3%	12%	7%	28%	2.51	311	3%	14%	2%	45%
9	दमन एवं दीव	12.02	1,109	5%	2%	16%	24%	2.55	424	5%	1%	2%	28%
10	दिल्ली	2,857.97	3,94,388	13%	3%	16%	55%	719.19	42,128	11%	3%	20%	57%
11	गोवा	376.04	45,471	1%	21%	13%	36%	64.80	5,745	1%	1%	24%	54%
12	गुजरात	5,910.02	10,86,407	7%	6%	30%	69%	1,556.71	2,94,382	8%	5%	43%	81%
13	हरियाणा	3,152.62	7,45,535	32%	2%	23%	71%	649.25	1,64,825	44%	2%	25%	81%
14	हिमाचल प्रदेश	965.70	85,564	17%	4%	12%	27%	167.72	12,318	24%	3%	18%	44%
15	जम्मू व कश्मीर	1,152.15	57,974	5%	2%	1%	24%	241.53	12,631	2%	3%	1%	22%
16	झारखंड	2,845.66	8,72,868	7%	6%	43%	75%	660.97	2,43,563	9%	4%	47%	86%
17	कर्नाटक	16,469.43	44,59,609	11%	5%	23%	86%	3,232.53	9,49,115	13%	6%	27%	88%
18	केरल	4,727.38	8,30,411	19%	3%	39%	78%	1,213.81	2,36,878	18%	3%	36%	68%
19	लक्षद्वीप	5.35	740	1%	63%	3%	27%	0.79	98	0%	67%	0%	29%

20	मध्य प्रदेश	7,769.29	25,11,191	18%	9%	40%	87%	1,663.61	5,77,733	21%	10%	41%	88%
21	महाराष्ट्र	13,372.42	35,35,065	17%	8%	32%	83%	3,036.75	7,72,435	17%	7%	35%	88%
22	मणिपुर	120.03	24,021	2%	28%	31%	66%	17.81	1,549	2%	15%	7%	28%
23	मेघालय	162.41	19,151	6%	58%	7%	70%	22.93	3,146	3%	48%	6%	29%
24	मिजोरम	77.78	7,772	5%	82%	3%	38%	16.33	1,989	0%	88%	0%	19%
25	नागालैण्ड	76.54	5,134	5%	69%	4%	34%	13.30	689	1%	54%	1%	44%
26	ओडिशा	5,436.26	23,43,261	17%	7%	53%	90%	1,420.75	6,39,073	18%	8%	59%	96%
27	पुदुचेरी	331.91	82,866	21%	1%	45%	78%	90.15	25,840	23%	1%	35%	86%
28	पंजाब	3,484.49	6,53,973	45%	2%	9%	67%	708.23	1,46,202	54%	2%	7%	72%
29	राजस्थान	5,248.28	11,59,819	19%	9%	30%	71%	1,400.85	2,51,182	21%	12%	31%	81%
30	सिक्किम	54.61	6,889	7%	11%	9%	50%	10.80	1,574	2%	6%	5%	57%
31	तमिलनाडु	15,496.86	47,81,567	21%	1%	21%	87%	3,250.42	11,85,901	24%	1%	17%	89%
32	तेलंगाना	3,694.34	4,00,761	7%	4%	20%	25%	607.88	45,464	7%	4%	18%	28%
33	त्रिपुरा	337.26	68,146	19%	13%	17%	67%	67.02	11,159	20%	16%	16%	40%
34	उत्तर प्रदेश	11,880.93	33,45,382	28%	3%	33%	78%	2,417.70	6,57,519	31%	4%	32%	84%
35	उत्तराखंड	1,745.08	3,60,007	26%	8%	25%	76%	317.20	70,205	34%	3%	25%	88%
36	पश्चिम बंगाल	7,740.41	26,28,548	18%	2%	6%	79%	1,816.78	6,25,287	19%	2%	5%	85%
कुल		**1,32,954.73**	**348,80,924**	**18%**	**5%**	**30%**	**79%**	**28,704.19**	**79,78,443**	**20%**	**5%**	**32%**	**85%**

वित्त वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 (22.07.2016 की स्थिति के अनुसार)बैंक-वार संवितरण, उधारकर्ताओं की संख्या तथा ऋण में महिलाओं,अ.जा.,अ.ज.जा, अपिव श्रेणियों के आंकड़े

क्रम.सं.	बैंक का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16						वित्तीय वर्ष 2016-17					
		संवितरण (करोड़ रूपए में)	खातों की संख्या	अ.जा.	अ.ज.जा	अपिव	महिलाएं	संवितरण (करोड़ रूपए में)	खातों की संख्या	अ.जा.	अ.ज.जा	अपिव	महिलाएं
1	भारतीय स्टेट बैंक	12,281	10,31,804	10%	6%	16%	8%	617	72,337	0%	0%	1%	0%

2	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1,418	73,402	9%	3%	15%	18%	598	19,438	7%	2%	13%	13%
3	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1,367	1,05,515	5%	2%	10%	38%	632	28,427	2%	1%	5%	24%
4	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	813	37,675	0%	0%	0%	5%	116	8,643	1%	22%	76%	5%
5	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	787	32,716	13%	5%	30%	17%	115	3,940	7%	4%	25%	5%
6	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकौर	335	19,477	5%	2%	0%	29%	99	4,216	4%	2%	0%	25%
7	इलाहाबाद बैंक	1,768	1,60,041	13%	3%	13%	17%	258	21,149	8%	2%	11%	6%
8	आंध्रा बैंक	1,569	2,16,094	5%	1%	20%	21%	279	31,515	8%	2%	20%	23%
9	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,773	2,24,367	2%	1%	6%	29%	284	17,377	5%	3%	18%	21%
10	बैंक ऑफ इंडिया	2,752	3,76,486	3%	2%	10%	18%	747	54,156	3%	2%	11%	28%
11	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1,290	87,228	7%	3%	15%	16%	224	13,129	7%	2%	16%	23%
12	केनरा बैंक	7,507	7,90,354	6%	1%	9%	27%	1,007	89,128	8%	2%	15%	44%
13	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1,460	5,08,354	1%	2%	1%	44%	543	1,04,925	1%	0%	2%	44%
14	कार्पोरेशन बैंक	985	1,51,129	5%	1%	21%	46%	338	18,372	6%	1%	12%	28%
15	देना बैंक	387	82,591	7%	4%	13%	36%	122	49,722	7%	5%	15%	43%
16	इंडियन बैंक	1,484	1,82,841	6%	1%	73%	23%	381	25,613	6%	1%	75%	32%
17	इंडियन ओवरसीज बैंक	987	1,63,854	1%	0%	0%	27%	113	9,989	1%	0%	4%	32%
18	ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	1,309	1,26,314	7%	1%	14%	19%	184	8,485	9%	1%	16%	19%
19	पंजाब नैशनल बैंक	3,593	5,96,839	7%	3%	13%	11%	961	1,10,831	9%	3%	18%	12%
20	सिंडिकेट बैंक	3,019	3,11,696	3%	1%	14%	37%	656	39,170	2%	1%	12%	32%
21	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,841	2,04,729	8%	2%	35%	30%	560	44,475	8%	2%	32%	27%
22	युनाईटेड बैंक आफ इंडिया	1,113	1,10,462	5%	3%	22%	26%	280	16,056	6%	4%	23%	24%
23	पंजाब एंड सिंध बैंक	466	1,11,260	1%	0%	1%	42%	48	3,486	2%	0%	2%	23%
24	यूको बैंक	2,199	5,62,668	1%	0%	6%	7%	313	25,148	6%	2%	28%	30%
25	विजया बैंक	1,892	1,63,467	2%	1%	10%	6%	347	24,816	3%	1%	11%	9%
26	आईडीबीआई बैंक लि.	1,688	1,67,864	12%	2%	27%	59%	509	51,671	17%	2%	30%	76%

27	भारतीय महिला बैंक लि.	44	8,350	0%	0%	0%	0%	14	1,873	0%	0%	0%	0%
योग		**56,127**	**66,07,577**	**5%**	**2%**	**14%**	**22%**	**10,344**	**8,98,087**	**6%**	**2%**	**16%**	**29%**

अनुबंध II

दिनांक 08.04.2015 से 03.08.2016 तक सीपीजीआरएएम पोर्टल पर पीएमएमवाई से संबंधित बैंक-वार शिकायत

क्रम सं.	**बैंक का नाम**	**शिकायतों की संख्या**
1	भारतीय स्टेट बैंक	896
2	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	40
3	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	44
4	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	17
5	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	40
6	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकौर	25
7	इलाहाबाद बैंक	147
8	आंध्रा बैंक	59
9	बैंक ऑफ बड़ौदा	327
10	बैंक ऑफ इंडिया	175
11	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	82
12	केनरा बैंक	161
13	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	136
14	कार्पोरेशन बैंक	43
15	देना बैंक	33
16	इंडियन बैंक	49
17	इंडियन ओवरसीज बैंक	67
18	ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	92
19	पंजाब नैशनल बैंक	444
20	सिंडिकेट बैंक	82
21	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	130
22	युनाईटेड बैंक आफ इंडिया	55
23	पंजाब एंड सिंध बैंक	30
24	यूको बैंक	106
25	विजया बैंक	47
26	आईडीबीआई बैंक लि.	64

27	भारतीय महिला बैंक लि.	5
28	किसी विशेष बैंक की न होकर सामान्य शिकायतें	1221
योग		**4617**